1.51 cpc
2024/170

विद्यादेवी बनाम रमेश कुमार व अन्य
प्रकरण संख्या 2017/120

27.12.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा की मद सं0 10 में यह कथन किया कि इसी विषयवस्तु पर पूर्व में एक वाद सन् 2012 में किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 14.03.2013 को हुआ, अतः वादीया नया वाद लाने का कानूनन अधिकारी नहीं है। जबकि वादीया ने ऐसा वाद लाने से स्पष्ट इंकारी की है। वादीया ने कथित पूर्व वाद सुन्दरलाल आदि बनाम महेन्द्र कुमार आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर इन पर दर्ज कथित वादीया के अंगूठो का मिलान आनन्द देवरथ एफ एस एल से करवाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि वादीया ने अंगूठो का मिलान उपरोक्त दावा सुन्दरलाल आदि बनाम महेन्द्र कुमार आदि में प्रस्तुत रिकॉर्ड क्यू 1 से क्यू 5 मिलान नहीं करते, अतः एफ एस एल की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 जिसमें अंगूठो के मिलान का रिकॉर्ड भी शामिल है, मुकदमा के सही निर्णय के लिए पेश करना आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त रिकॉर्ड दावा पेश होने के बाद का है, इस कारण वाद–पत्र में इस सम्बंध में कथन दर्ज नहीं किये जा सके मगर मुकदमा के सही निर्णय के लिये एफ एस एल की रिपोर्ट पेश करना व रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त रिकॉर्ड एफ एस एल की रिपोर्ट है, जिसके फर्जी अथवा जाली बनाये जाने की कोई संभावना नहीं है तथा कानूनी जानकारी अब दौराने मुकदमा मिलने के कारण बिना किसी देरी के एफ एस एल की रिपोर्ट पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि शामिल हाजा एफ एस एल आनन्द देवरथ, श्रीगंगानगर की अंगूठो की जांच रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 को पेश करने की अनुमति प्रदान कर शामिल पत्रावली करने व वादीया की साक्ष्य में पढने का आदेश फरमाया जावे। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक द्रष्टांत 2017(2) CJ (Civ.)(Raj.) 777 एवं 2017(2) CJ(Civ.)(Raj.) 1130 प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश करते हुये जवाब बहस में कथन किये कि– जवाब दावा में जो पूर्व के दावा का कथन किया गया है वह दिनांक 14.03.2013 को खारिज हो गया, जिसके खिलाफ राजस्व मण्डल, अजमेर में कार्यवाही चल रही है मगर इस तथ्य को छुपाकर दावा किया गया है। अप्रार्थीयान को इस बात की कोई जानकारी नही थी अंगूठो की जांच एफ एस एल से करवायी गई हो बल्कि विद्या देवी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दावा में पैरवी करते रहे तथा वह दावा भी सुन्दरलाल वगैरह के साथ मिलकर किया गया था। एफ एस एल की जांच जो न्यायालय के माध्यम से भेजी जावे वह न्यायालय में मान्य हो सकती है, अपने स्तर पर करवायी गई जांच पेश करने की कतई अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। न्यायिक द्रष्टांत 2017(2) सीजे (Civ.)(Raj.) 777 के आलोक में आदेश 7 नियम 14(3) सिविल प्रकियां संहिता के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय यह देखे जाने की अपेक्षा नही है कि दस्तावेज जाली, रचित या अनाधिकृत है– दस्तावेज की परिसाक्ष्यिक मूल्य या विश्वसनीयता को प्रदर्श के रूप में अकिंत करते समय तथा/या साक्ष्य पेश किये जाते समय देखी जानी है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 40 बीएसए के आलोक में ''

ऐसे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत न हों, सुसंगत हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं या उनसे असंगत हैं, जब ऐसी राय सुसंगत हो''– इस आधार पर

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

1.51.CPC
2024/170

विद्यादेवी बनाम रमेश कुमार व अन्य
प्रकरण संख्या 2017/120

27.12.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा की मद सं0 10 में यह कथन किया कि इसी विषयवस्तु पर पूर्व में एक वाद सन् 2012 में किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 14.03.2013 को हुआ, अतः वादीया नया वाद लाने का कानूनन अधिकारी नहीं है। जबकि वादीया ने ऐसा वाद लाने से स्पष्ट इंकारी की है। वादीया ने कथित पूर्व वाद सुन्दरलाल आदि बनाम महेन्द्र कुमार आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर इन पर दर्ज कथित वादीया के अंगूठो का मिलान आनन्द देवरथ एफ एस एल से करवाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि वादीया ने अंगूठो का मिलान उपरोक्त दावा सुन्दरलाल आदि बनाम महेन्द्र कुमार आदि में प्रस्तुत रिकॉर्ड क्यू 1 से क्यू 5 मिलान नहीं करते, अतः एफ एस एल की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 जिसमें अंगूठो के मिलान का रिकॉर्ड भी शामिल है, मुकदमा के सही निर्णय के लिए पेश करना आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त रिकॉर्ड दावा पेश होने के बाद का है, इस कारण वाद–पत्र में इस सम्बंध में कथन दर्ज नहीं किये जा सके मगर मुक़दमा के सही निर्णय के लिये एफ एस एल की रिपोर्ट पेश करना व रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त रिकॉर्ड एफ एस एल की रिपोर्ट है, जिसके फर्जी अथवा जाली बनाये जाने की कोई संभावना नहीं है तथा कानूनी जानकारी अब दौराने मुकदमा मिलने के कारण बिना किसी देरी के एफ एस एल की रिपोर्ट पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि शामिल हाजा एफ एस एल आनन्द देवरथ, श्रीगंगानगर की अंगूठो की जांच रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 को पेश करने की अनुमति प्रदान कर शामिल पत्रावली करने व वादीया की साक्ष्य में पढने का आदेश फरमाया जावे। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक द्रष्टांत 2017(2) CJ (Civ.)(Raj.) 777 एवं 2017(2) CJ(Civ.)(Raj.) 1130 प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश करते हुये जवाब बहस में कथन किये कि– जवाब दावा में जो पूर्व के दावा का कथन किया गया है वह दिनांक 14.03.2013 को खारिज हो गया, जिसके खिलाफ राजस्व मण्डल, अजमेर में कार्यवाही चल रही है मगर इस तथ्य को छुपाकर दावा किया गया है। अप्रार्थीयान को इस बात की कोई जानकारी नही थी अंगूठो की जांच एफ एस एल से करवायी गई हो बल्कि विद्या देवी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दावा में पैरवी करते रहे तथा वह दावा भी सुन्दरलाल वगैरह के साथ मिलकर किया गया था। एफ एस एल की जांच जो न्यायालय के माध्यम से भेजी जावे वह न्यायालय में मान्य हो सकती है, अपने स्तर पर करवायी गई जांच पेश करने की कतई अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः [illegible] निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस [illegible] प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। न्यायिक द्रष्टांत 2017(2) CJ (Civ.)(Raj.) 777 के आलोक में आदेश 7 नियम 14(3) सिविल प्रकियां संहिता आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय यह देखे जाने की अपेक्षा नही है। कि दस्तावेज जाली, रचित या अनाधिकृत है– दस्तावेज की परिसाक्ष्यिक मूल्य या विश्वसनीयता को प्रदर्श के रूप में अकिंत करते समय तथा/या साक्ष्य पेश किये जाते समय देखी जानी है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 40 बीएसए के आलोक में ''

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

ऐसे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत न हों, सुसंगत हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं या उनसे असंगत हैं, जब ऐसी राय सुसंगत हो''– इस आधार पर

आवेदन की खारिजगी न्यायसंगत नही है। अत वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। एंव एफ एस एल आनन्द देवरथ, श्रीगंगानगर की अंगूठो की जांच रिपोर्ट दिनांक 15.01.2018 पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते जिरह साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 22.01.2025 को पेश हो।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested